ख्या 72/54–55
shtriya.org

।। वन्दे मातरम्।।

Tel. : 0141-2377799
Fax : 0141-2362212
E-mail : rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302 001

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा

Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, R.R.K.M. & E.I.,

शर्मा क्ष 56109	उमराव लाल वर्मा सभाध्यक्ष 9414852027	देवलाल गोचर महामंत्री 9414403756

क्रमांक : 925

दिनांक: 08.08.2017

माननीय शिक्षामंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय पंचायतराज मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित एवं 2015 में नियुक्त शिक्षकों को पूर्ण वेतन देते हुए नियमितिकरण तथा स्थायीकरण करने के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा 2013 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तथा चयनित शिक्षकों को मार्च 2015 में नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन किया गया था। सभी पदस्थापित शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएँ विभाग को दे रहे है तथा मार्च–अप्रैल 2017 में इनके दो वर्षो का परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा जारी सेवा सन्तुष्टि प्रमाण–पत्र के आधार पर विभिन्न जिलों में वेतन नियमितीकरण के आदेश भी जारी किये जा चुके है।

पंचायती राज विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान ने आदेश क्रमांक एफ 917 (2) पंरा प्राशि/2017/839 दिनांक 28.07.2017 जारी कर इन शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण पर रोक लगा दी है। इस आदेश से सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। यह आदेश जारी करते समय सिविल रिट संख्या 3075/2015 धीरज आमेटा व अन्य बनाम राज्य सरकार तथा सिविल रिट संख्या 4405/2015 निरंजन लाल शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णयों का हवाला दिया गया है जबकि इनमें दिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करने की कार्यवाही प्रारंभ ही नहीं की गई है। ज्ञातव्य है कि सिविल रिट संख्या 4405/2015 में पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार केवल 48

Scanned by CamScanner

याचिकाकर्ताओं तथा सिविल रिट संख्या 3075/2015 धीरज आमेट बनाम राज्य सरकार में कुल 14 याचिका कर्ताओं का ही रिवाईज परिणाम जारी होना था परन्तु पंचायती राज विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा ने मनमानी करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश को सभी चयनित शिक्षकों पर लागू कर दिया। इससे उक्त विषम स्थिति उत्पन्न हो गई हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 915(238) पंरावि/ प्राशि /2015/345 दिनांक 30.03.2016 तथा राजस्थान सेवा नियम 27 बी के प्रावधानों के अनुसार 2 वर्ष का परिवीक्षा काल संतोषप्रद पूर्ण होते ही वेतन नियमितीकरण किया जाना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, मुख्य पीठ जोधपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 9840/2015 प्रकाश राठौड़ बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय के अनुसार भी वेतन नियमितीकरण परिवीक्षा काल के पूर्ण होते ही किया जाना चाहिये।

संगठन का उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर आग्रह है कि राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश क्रमांक एफ. 917 (2) पंराप्राशि/2017/839 दिनांक 28.07.2017 को तत्काल वापस लेते हुए राजस्थान सेवा नियम 27 बी के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर 2015 में चयनित शिक्षकों का नियमितकरण तथा स्थायीकरण करने के आदेश जारी करवाने की कृपा करें अन्यथा संगठन को विवश होकर उग्र आन्दोलन प्रारम्भ करना होगा जिसका समस्त दायित्व राज्य सरकार का होगा।

भवदीय

(देवलाल गोचर)
महामंत्री

Scanned by CamScanner